छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-07

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2015

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री तोखन साहू के स्थान पर श्री रामलाल चौहान, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014 - 2015,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1, सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां –

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड,

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड,

के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

(3) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014, तथा

(4) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक 7551/ एफ-2/24/बीज/ 2011/14-2, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य की बीज नीति **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोहन मरकाम, बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर संभाग अंतर्गत जेलों में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, जेल मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताविहीन सड़कों, भवन एवं पुल-पुलियों का निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माणमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. विमल चोपड़ा
(2) श्री मनोज सिंह मंडावी
(3) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(4) श्री देवजी भाई पटेल
(5) श्री मोतीलाल देवांगन

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, लाभचंद बाफना, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

2. औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री सियाराम कौशिक, श्रीचंद सुंदरानी, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), लाभचंद बाफना।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

3. छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, शिवरतन शर्मा, राजेन्द्र कुमार राय, देवजी भाई पटेल, डॉ. विमल चोपड़ा, (जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, संतोष उपाध्याय, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 28 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

4. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, श्यामबिहारी जायसवाल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण् दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, मोतीराम चंद्रवंशी।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

6. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, (डॉ) खिलावन साहू, बृहस्पत सिंह, राजू सिंह क्षत्री, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

7. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री मोतीराम चंद्रवंशी, नवीन मारकण्डेय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

8. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सियाराम कौशिक, देवजी भाई पटेल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

9. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, देवजी भाई पटेल, श्यामलाल कंवर, राजमहंत सांवलाराम डाहरे।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सायं 5.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 (फाल्गुन-22, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा